



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180761

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7956 वर्ष 2026

संजय और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक द्विवेदी, सुनील कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 143 सन् 2026, धारा 131, 115(2), 76 एवं 110 बी.एन.एस., 2023, थाना-नरसेना, जनपद बुलंदशहर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 31.03.2026 की बताई गई है, तथापि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दो माह से अधिक के अत्यधिक विलंब के पश्चात दिनांक 06.06.2026 को दर्ज कराई गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि दोनों घायलों को आई किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाया गया और घायल गौरव की केवल एक उंगली में फ्रैक्चर दर्शाया गया है। पक्षकारों के बीच संपत्ति का विवाद है। पक्षकार आपस में निकट संबंधी हैं और इसी संपत्ति विवाद के कारण यह झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब आवेदकों की किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ अथवा बरामदगी के लिए आवश्यकता नहीं है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में उठाए गए तर्कों पर विवाद नहीं किया। उन्होंने इंगित किया कि आवेदक संख्या 1 से 3 का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है। तथापि, उन्होंने उक्त आपराधिक इतिहास के संबंध में आवेदकों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. विवेचना के दौरान आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। दोनों घायलों को आई किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं कहा जा सकता। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के परिशीलन से प्रथम दृष्टया धारा 110 बी.एन.एस. के अंतर्गत कोई अपराध बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है। आवेदकों ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का समुचित स्पष्टीकरण दिया है। यद्यपि दोषसिद्धि की स्थिति में अधिरोपित की जा सकने वाली अधिकतम सजा



सात वर्ष से अधिक नहीं है, तथापि धारा 110 बी.एन.एस. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है।

7. उपर्युक्तानुसार विवेचित मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, में आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

8. आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदकगण- संजय, श्योपल, नैपाल और सुशील उर्फ कालू आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाएंगे:-

i. आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;

ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख किया जा सके;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

31 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।